



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(भ्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं. कभनिसं./मुख्या./भर्ती/प्रतिनियुक्ति/विजा.-04/2025/ले.परी./ई-1129743/15430

दिनांक: 30.01.2026

नियुक्ति प्रस्ताव

विषय: श्री मोराचिक्कम विनील, व.सा.सु.सा., क्षे. का., कुक्कटपल्ली की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति।

लेखा परीक्षक के पद पर चयन हेतु गठित स्क्रीनिंग सह चयन समिति की सिफारिश के आधार पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लेखा परीक्षक के पद पर, श्री मोराचिक्कम विनील, व.सा.सु.सा. को लेखापरीक्षक के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 [वेतन बंड-2 रु. 9300-34800 ग्रेड पे रु. 4200 / - (पूर्व संशोधित)] में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाता है, जिसकी अवधि प्रारंभ में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए होगी।

2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की शर्तें एवं नियम इस प्रकार हैं:-

- (i) प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम कार्यालय जापन संख्या 2/229/91-स्था./(वेतन II) दिनांक 05.01.1994, कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्था.((वेतन II) दिनांक 17.06.2010 तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/जापन द्वारा अभिशसित होंगे।
- (ii) लेखा परीक्षक के रूप में कार्मिक की तैनाती हैदराबाद में होगी। हालाँकि, कार्मिक को प्रशासनिक आधार पर किसी अन्य कभनिसं. कार्यालय स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- (iii) नियुक्ति आदेश संबंधित कार्मिकों द्वारा उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त होने के बाद जारी लिया जाएगा।
- (iv) वह नियमानुसार टीए/डीए और कार्यभार ग्रहण समय के पात्र होंगे।
- (v) यदि चयनित कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष पूरे होने से पहले अपने मूल कार्यालय में जाना चाहता है, तो वापसी पर कोई स्थानांतरण टीए / डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि कार्मिक एक वर्ष या उससे कम समय के भीतर अपने मूल कार्यालय में जाना चाहता है, तो पहले से भुगतान किया गया स्थानांतरण टीए / डीए, यदि कोई है, भी वसूल किया जाएगा।
- (vi) पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि पर प्रतिनियुक्त अधिकारी को कार्यमुक्त माना जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी अपेक्षित अनुमोदन सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति तिथि से पूर्व लिखित रूप में इसे विस्तारित न करदे।
- (vii) यदि कोई अधिकारी किसी भी कारण से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा अन्य प्रतिकूल परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें यह शामिल है कि अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि को पेंशन के उद्देश्य के लिए सेवा में नहीं गिना जाएगा तथा अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि के दौरान देय कोई भी वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से उस तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी, जिस तिथि को अधिकारी अपने मूल केंद्र में वापस आ जाता है।

3. यदि उपर्युक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार्य हैं, तो श्री मोराचिक्कम विनील, व.सा.सु.सा. अपनी लिखित सहमति और सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र कार्यालय को इस ईमेल पते rpfex.am@epfindia.gov.in पर नियुक्ति के इस प्रस्ताव की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर भेज दें।

[यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है]

दीपक आर्य
(दीपक आर्य)

क्ष.भ.नि.आ-11 (भर्ती)

सेवा में,

श्री मोराचिक्कम विनील, व.सा.सु.सा

(अ. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आं.का. (तेलंगाना), ब्राह्मणवाड़ी, बेगमपेट, हैदराबाद-500016 के माध्यम से)

प्रतिलिपि (कभनिस वेबसाइट के माध्यम से)-

1. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
2. वि. सला. एवं मु. ले. अधि. /मु. सत. अधि./सभी अ. कें.भ.नि.आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास)/ सभी अ. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
3. मुख्या अभियन्ता/ मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी/ मुख्या सूचना एवं सुरक्षा अधिकारी
4. क्ष.भ.नि. आयुक्त (कुक्कटपल्ली) - सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. मुख्यालय सहित सभी क्ष.भ.नि. आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)।
6. क्ष.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) - वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
7. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
8. महासचिव, अ.भा. क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन, चेन्नई।
9. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

दीपक आर्य
(दीपक आर्य)

क्ष.भ.नि.आ-11 (भर्ती)